

दिनांक :- 03-05-2020

कॉलेज का नाम :- मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखक का नाम :- डा०. फारूक आज़म (अतिथी शिक्षक)

स्नातक :- प्रथम रैंड इतिहास

विषय :- प्रतिका इतिहास

रुकाई :- पांच

पत्र :- एक

अध्याय :- उत्तर वैदिक काल स्त्रोत -

ब्राह्मण - उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ जाने से ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में ब्राह्मण केवल एक प्रकार के पुरोहित होते थे किंतु धीरे-धीरे ब्राह्मणों ने यज्ञ विधि के द्वारा सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लिया। ब्राह्मण का वैदिक ग्रंथों में 'अध्वर्यु' (दान लेने वाला) तथा 'सामघात्री' श्रेष्ठ इच्छानुसार भक्षण करने वाला कहा गया है।

क्षत्रिय - इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र पर अधिकार

करने वाला ! उत्तर वैदिक काल में लोहे युद्धास्त्रों के कारण
क्षत्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। क्षत्रिय या राजा भूमि के
स्वामी होते थे। वे देश की रक्षा के लिये युद्ध करते तथा
पुजा से कर लेते। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा
भी थी क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में एक जगह पर क्षत्रिय की
ब्राह्मण से श्रेष्ठ बतलाया गया है। राजसूय संहिता शतपथ
शैतरेय तथा पञ्चविंश ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण राजन्थ से
श्रेष्ठ था। शैतरेय ब्राह्मण के अनुसार राजा ब्राह्मण से द्वा सक्त
है। काठक संहिता के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। इसी
प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ क्षत्रिय विद्वान् दक्षीणिष्ठ राजा बन गए
जैसे के उपनिषद् काल में श्वेतकेतु आकण्डि ने प्रवाहन जैबलि
से शिक्षा पाई थी।

वैश्य:- उत्तर वैदिक काल में वैश्य की अनस्थ बलिकृत कही
गया है। यह एक मात्र ऐसा वर्ग था जो उत्पादन के साथ
कर की अदायगी भी करता था।

शूद्र:- शूद्र वर्ण की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के पुरुष सूक्त में हुई है। आगे उत्तर वैदिक ग्रंथों में शूद्र उसे कहा गया है जो दूसरी का संदेशवाहक हो जिससे इच्छा होने पर तारन दिया जाये तथा जिससे किसी भी समय कार्य करने के लिये बाध्य किया जाये। शूद्रों को तीन वर्णों का सेवक (अनस्य प्रेयस्य) कहा गया है परंतु इस समय तक शूद्र की अस्पृश्य घोषित नहीं किया गया था।

शतपथ ब्राह्मण में शूद्रों द्वारा सोम यज्ञ में भाग लेने की बात भीत्रायिणी संहिता में ^{की गई है} शूद्रों का जिक्र है। राज्यांत्रिक के समय भी शूद्र उपस्थित रहते थे।

गृह्यसूत्र तथा छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं। अतः चाण्डाल भी यज्ञ का अवशेष पान का अधिकारी है।

विभिन्न शिल्पियों में स्थापना की स्थिति सबसे अच्छी थी
उन्हे उपनयन का अधिकार था। बच्चे, विधवा इस ~~की~~ स्त्री से
सन्ध्यासी वर्ग व्यवस्था से बाहर थी।

गोत्र

गोत्र की अवधारणा पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही
आई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गोष्ठ होता है अर्थात् वह स्थान
जहाँ पूरे गोत्र का गोष्ठन रखा जाता था। परंतु यह अर्थ कुछ
समय के बाद बदल गया। अब एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न
व्यक्ति एक गोत्र के कहे जाने लगे। प्रारंभ में गोत्र की अवधारणा
ब्राह्मणों के लिये थी ब्राह्मणों के द्वारा ही क्षत्रिय और वैश्य की
प्रदान किया गया। मैं निम्न रूप से सात गोत्र माने जाते हैं जो
विभिन्न ऋषियों के नाम पर हैं - ऋषि - कश्यप, विश्वामित्र, मृगु
गौतम, भारद्वाज, आत्रि तथा विश्वामित्र आठवाँ गोत्र अगस्त्य
ऋषि का माना जाता है वे अनार्यों के ऋषि भी माने जाते हैं।

प्रवर:- आगे चलकर केवल एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति

की ही गणना नहीं की जाती थी। वरन् उस मूल पुरुष के पूर्वजों की भी दृष्टान्त में रखा जाता था। अपिंड, सगौत्र आदि शब्दों पर विचार सूत्रकाल में होने लगा और इसी के साथ गौत्र बर्हिगमन की परिफ़्फ़न आई।

गृह परिवार - उत्तरवैदिक परिवार पितृ सत्तात्मक था। पितृ परिवार का प्रमुख होता था। इस काल में परिवार के मुखिया के अधिकारों में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिये ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार अर्जुन ने अपने पुत्र सुहृद् शीप की 100 गाँवों के बड़ों में बेच दिया तथा विश्वामित्र ने अज्ञा का उत्प्रेषण करने पर अपने 50 पुत्रों को घर से बाहर कर दिया। वैसे संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था।

नारी की स्थिति :- वैदिक काल की तुलना में इस काल में गिरावट आई। अब सभा और समिति में उनके प्रवेश का अधिकार नहीं रहा। पुत्रों की तुलना में इस काल में उन्हें

संपत्ति से भी वंचित किया गया। साथ ही पुत्रियों के जन्म की हतोत्साहित किया गया।

ऐतरेय ब्राह्मण में लड़कों की परिवार का रक्षक तथा पुत्रियों की दुःख का कारण माना गया है।

मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना मंदिर, विष, और पाशा से की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद् में प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य संप्रदाय की कथा है जिनमें याज्ञवल्क्य गर्भ की वाद-विवाद में डाँट कर चुप करा देते हैं।

फिर भी सूत्रकाल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो गई। इस काल में मैत्रेयी तथा गार्गी परम विदूषी महिलायें थीं। इस काल में स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थीं। यजुर्वेद में शिक्षित स्त्री संपुरुष के विवाह की ही उपयुक्त माना गया है।

अथर्ववेद के अनुसार स्त्री के चार पति हैं - (1) सौम (2) अग्नि

(3) गंधर्व (4) वास्तविक पति। प्रथम अवस्था उसके सौंदर्य, शील और संस्कृति के विकास की अवस्था है। द्वितीय अवस्था में कन्या में चारित्रिक भावना का विकास होता था। तृतीय अवस्था में उसे नृत्य संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में शिक्षा दी जाती है जिससे उसे चौथी अवस्था में वास्तविक पति के साथ सामंजस्य में कठिनाई न हो। इस विभाजन का सैकेतिक महत्व यह है कि स्त्रियों की शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास की चार अवस्थाएँ हैं।

वृहदारण्यक उपनिषद् में विदुषी पुत्री के जन्म की कामना करने वाले व्यक्ति के लिए एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था मिलती है।

विवाह - उत्तर वैदिक आश्रम में विवाह एक प्रतिष्ठित संस्था थी। विवाह एक आवश्यक कर्तव्य था। अविवाहित व्यक्ति को यज्ञादि करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।